अहकाम की तामील	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-6	आज यह पत्रावली लोक कोर्ट मंडापुरा में राजस्व लोक अदालत अभियान आपके द्वार में प्रस्तुत हुई।	

वादी के वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

तहसीलदार पचपदरा ने विभाजन प्रस्ताव नक्शा नजरीया व जमाबंदी की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किये जो पत्रावली के संलग्न किये गये। पत्रावली व विभाजन प्रस्तावों का अवलोकन किया गया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना गया इस प्रकरण में दिनांक 18-4-2017 को [illegible] के मद्दे विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार पचपदरा से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये थे। प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात प्रतिवादी लक्ष्मा पुत्र लक्ष्मण सिंह ने अपना 2/3 हिस्सा दिनांक 10-10-2017 को सुमेरमल पुत्र मनाराम जाति जैन नि. बालोतरा को विक्रय कर दिया है। वर्तमान अभिलेख में भी सुमेरमल के नाम 2/3 हिस्सा दर्ज किया जा चुका है। वादीनी के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त 2014-15 (SUPP.) RRT 496 सुमेर सिंह V/s दीवान सिंह प्रस्तुत कर दलील दी कि एक सहखातेदार के हिस्से का क्रेता आवश्यक पक्षकार नहीं है। हमने प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया माननीय राजस्व मण्डल ने विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर पक्षकार बनाये जाने के विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये यह मत प्रतिपादित

P.T.O

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. ...

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

किया गया है कि "स्व सह खातेदार द्वारा अपना हिस्सा प्रभाजित विक्रय पत्र में वर्णित करने के उपरान्त बंटवारे के दावे में क्रेता को पक्षकार बनाया जाना वादी की इच्छा पर निर्भर करता है तथा विक्रेता को विभाजित भागफल में जो अधिकार प्राप्त होंगे वही अधिकार क्रेता को प्राप्त हो सकते हैं। इस न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में यह स्पष्ट हो जाता है कि विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 लक्ष्मणसिंह द्वारा उसका 1/3 हिस्सा सुमेरमल के पक्ष में विक्रय कर देने से तथा वर्तमान में सुमेरमल अभिलेख में 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज होने से लक्ष्मणसिंह के 1/3 हिस्से की भूमि का विभाजन सुमेरमल के पक्ष में दर्ज कर इस प्रकार नक्शे में भी तरमीम करने हेतु तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाना न्यायोचित है।

तहसीलदार पचपदरा के अपने विभाजन प्रस्ताव में यह उल्लेख किया है कि वादिनी का सीमेंट की चद्दरों का कमरा, टांका व झाड़ मौके पर है। विभाजन प्रस्ताव मौका स्थिति अनुसार तैयार किये गये हैं जो विभाजन हेतु बने नियमों के अनुसार होने से तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार कर अभिलेख में दर्ज खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार बंटवारा स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	कैफियत
1.	सुमेरमल s/o मागीलाल जैन सा. बालोतरा खातेदार	2298/125	0-06-00	बा.बे.	0.12	
		2297/123	1-07-13	"	0-55	
		2296/122	6-11-00	"	2-62	
	योग	3	8-04-13	"	3.29	

PTO.

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2. सजन सिंह पुत्र किशनदास 2297/123 0.11.06 कारी 0.23 स्रोत सा. बालोतरा खातेदार 2298/125 0.08.14 " 0.17 2 1.00 " 0.40	अमरीश
3. शारदादेवी पुत्री लिखमाराम 2297/123 1.05.01 " 0.50 धर्मपत्नि ओमप्रकाश जाति 2298/125 1.17.06 " 0.75 स्वारकाल सा. देह खातेदार 2 3.02.07 कारी 1.25	गुलाबी
इसी प्रकार नक्शे मे तरमीम तथा रेकर्ड मे जमाबन्दी/अमलदरामद किया जावे। डिक्री मुरत्तिब जारी हो। निर्णय कैम्प कोर्ट मंडापुरा में खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली शुमार फैसल दाखिल दफ्तर हो।	
(भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प.. मंडापुरा	

Scanned by CamScanner